

30/10 है/का पद रिक्त है। पत्रावली नम/आ.शानुसार
दिनांक 4-12-17 को पेश हो।

रीडर

4/12 वकील वाही उपर/गठिनाधी न. 2 ता 5 की और से
लक्ष्मी शीत आदि ने ~~पत्रावली~~ पत्रावली नाम प्रेष किया
गया। पत्रावली वाले पत्रावली हेतु दिनांक 3-1-18
को पेश हो।

~~उप विभागाध्यक्ष~~
वामनवास (सं. मा०)

3/18 उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब
अन्व प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/उभयपक्ष पर
है/का पद रिक्त है। पत्रावली नम/आ.शानुसार
दिनांक 6-2-18 को पेश हो।

उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब
अन्व प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/उभयपक्ष पर
है/का पद रिक्त है। पत्रावली नम/आ.शानुसार
दिनांक 12-3-18 को पेश हो।

रीडर

उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब
अन्व प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/उभयपक्ष पर
है/का पद रिक्त है। पत्रावली नम/आ.शानुसार
दिनांक 23-4-18 को पेश हो।

रीडर

उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब
अन्व प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/उभयपक्ष पर
है/का पद रिक्त है। पत्रावली नम/आ.शानुसार
दिनांक 23-7-18 को पेश हो।

रीडर

22/7 आज पत्रावली राजबल्लोक अदालत न्याय आफिस डार
केम्प शावपठ बिजारी पर पेश हुई। वकील वाही एवं

वाडीगाण स्वयं उपर वाडीगाण को कोष में रूचा
गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया
मुताबिक राजस्व रिकार्ड की इतुरतार प्रकार
पत्रावली में निरूदाय किसे जाने योग्य
है अतः मोस्ट के आधार पर वाडी का
कावा डिप्टी किया जाता है निरूद्य प्रयुक्त
से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया
गया। पत्रावली केवल भूमार क्षेत्र
बाद लक्ष्मीलन दफतर दाखिल की जावे।

अप जिला कलक्टर
गामनवास (स० मा०)

मूल वाद में डिक्री
(ऑर्डर 20 रूल 6-7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बामनवास
(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बिन्जारी)

पीठासीन अधिकारी: रामकिशोर मीना, आर.ए.एस.

1. छोटे लाल
2. केदार व
3. रामधन

पुत्रगण भागचंद, जाति खारवाल निवासी लाड़पुरा, तहसील बामनवास,

वादीगण

बनाम

1. मदन लाल पुत्र श्रीनारायण,
2. बाबू लाल पुत्र श्रीनारायण,
3. मक्खन लाल पुत्र श्रीनारायण एवं
4. देसाई पुत्र श्रीनारायण
5. हीरा पुत्र भागचंद

सभी जाति खारवाल निवासी लाड़पुरा, तहसील बामनवास

6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास,

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत घोषणा खातेदारी,
इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 58/2017

वादीगण स्वयं उपस्थित, प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित । यह वाद

आज दिनांक 22/5/2018 को मुझ पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 151 रकवा 45 एयर, 152 रकवा 41 एयर,



153 रकवा 35 एयर, 154 रकवा 30 एयर, 158 रकवा 31 एयर, कुल किता 5 रकवा 1.82 हैक्टेयर स्थित ग्राम लाड़पुरा, तहसील बामनवास में प्रत्येक वादी को 1/5 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 5 को 1/5 हिस्से का खातेदार टीनैण्ट घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावे व वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे इन्द्राज निरस्त किए जाते हैं, इसी के साथ प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के 1/5 - 1/5 हिस्से के उपयोग, उपभोग व प्रयोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करें

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 22/5/2018 को जारी की गई।



जिला कलेक्टर
बामनवास (स० मा०)
(रामकिशोर मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुत्तरिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुत्तरिक	
योग		योग	